

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

अनु -14 फार्म सं० 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

रेवेन्यू रिकीजन...वाद सं० 09R15 वर्ष 2012 धारा
 ACTR No- 23R15/2015

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक

प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

डा.शुलोचन भगत

वनाम्

नोका पाहन कौरह

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
29-08-12	<p>प्रस्तुत रिकीजन वाद आवेदक डा.शुलोचन भगत ये स्व. राम तहल भगत समाप्तिन खूँटी, ग्राम # जिला - खूँटी ने भूमि सुधार उप समाप्तिन खूँटी के न्यायालय द्वारा द्वास्त्रिय खारिज अणिले वाद संख्या-16/07-08 में दिनांक-01-08-12 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। दायरिया बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक-31-08-12 को रखे।</p>	<p>29/08/12</p>

आदेश क्रमांक दिनांक Order No./Date	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की मारी कारवाई की तिथि सहित Action taken on order with date
1	2	3
२४-०२-२०	<p>आवेदन एवं फायदा त्रुटि स्थित है निम्न नामांकित का आभिलेख रोकना है। दिनांक 18-03-20 को रोकें। अपर सहायक</p>	
०१-०७-२०	<p>आभिलेख उपस्थापित। सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग कारखाने सरकार राँची के पत्रांक-332/20 दिनांक- 24-01-20 के द्वारा प्रतिक्रिया है The Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision की सुनवाई करने का अधिकार मात्र Collection की है न कि Additional Collection तथा Deputy Collection की है। अतः उक्त निम्न। धारा के अंतर्गत में अग्रतर कार्रवाई। सुनवाई हेतु आभिलेख उपस्थापित होने के न्यायालय में हस्तांतरित करें। दिनांक 1.7.2020 अपर सहायक श्री।</p>	

आदेश क्रमांक दिनांक Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई दिनांक सहित Action taken on order with date
1	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख अपर साप्ताहिक सूची के मामालय से हस्तांतरित होकर प्राप्त है।</p> <p>अभिलेख पर असेम्बल कार्वार्ड हेतु वाद पंजी में दर्ज करके हुए फसवारों को सूचना निर्गत करे।</p> <p>अभिलेख नियंत्रण को रहे।</p> <p><i>(Faint handwritten text follows, including a signature and date)</i></p>	<p>05-10-10</p>